संख्या–4156/38–4–04–47 एस0जी0ओसी वाई/01

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2004

विषयः सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन पकाने हेतु श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान एवं गैस सिलेण्डर आदि की एक बारगी व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चलाई जा रही है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं पौष्टिकता के स्तर में सुधार हो।

2– मध्यान्ह भोजन योजना अन्तर्गत खाना पकाने वाले श्रमिक को रोजगार दिए जाने में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मुख्य उद्देश्य की शत प्रतिशत पूर्ति होती है। तद्नुसार मध्यान्ह भोजन पकाने वाले व्यक्ति की मजदूरी का वहन सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जा सकता हैः–

(क) न्यूनतम मजदूरी (रू0 58.00 प्रति मानव दिवस) का भुगतान किया जायेगा, जिसमें अपेक्षित खाद्यान्न (05 किलो प्रतिदिन) आंशिक मजदूरी के रूप में दिया जाएगा।

(ख) एस0जी0आर0वाई0 के दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्य की एक कार्य योजना ग्राम पंचायत द्वारा/के लिए बनायी जाएगी और उसे वार्षिक कार्य योजना का अंग बनाते हुए अपनी ग्राम सभा से स्वीकृत कराना होगा। तद्नुसार यह कार्य ग्राम पंचायत द्वारा एक योजना के रूप में निष्पादित किया जा सकेगा और उस कार्य योजना के अन्तर्गत भोजन पकाने वाले व्यक्ति को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ग) योजना के सामान्य दिशा निर्देशों का पालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

3– सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के प्रस्तर 9.1 में यह उल्लेख है कि श्रमिकों के लिए पेयजल, विश्राम शेड, कैश इत्यादि जैसी सुविधाएं योजना के अन्तर्गत निर्मित कराई जा सकती है। अतः इस प्राविधान के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना में भोजन पकाने वाले श्रमिकों को यदि गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा दिया जाय तो उन्हें अवश्य ही सुविधा होगी। इसके लिए विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना के भोजन पकाने के लिए कैन्टीन बर्नर, डबल गैस सिलेण्डर कनेक्शन प्राप्त करने हेतु डिपाजिट आदि के कार्यों के व्यय के

लिए रू0 2500.00 (रू0 दो हजार पांच सौ मात्र) तक का व्यय योजनान्तर्गत अनुमन्य किया जा सकता है। यह अंश भी प्रस्तर–2(ख) में उल्लिखित कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया जाय एवं तद्नुसार इस मद पर व्यय भी अनुमन्य होगा।

4– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(अतुल कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संख्या–4156 (1)/33–4–2004 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ह0
(ए0के0 चतुर्वेदी)
विशष सचिव